

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)

पीतारीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.-.....38...../2024

ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम जाति मेघवाल निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 08/2/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा किरसाली कान्धलान तहसील तारानगर के खसरा सं. 38 तादादी 10.9632 हेक्ट., खसरा सं. 4 तादादी 0.4426 हेक्ट., खसरा सं. 43 तादादी 0.0632 हेक्ट., खसरा सं. 46 तादादी 12.3289 हेक्ट. कुल तादादी 23.7979 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम उमाराम पुत्र चिमनाराम अंकित है। जो गलत है, क्योंकि प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा किरसाली कान्धलान तहसील तारानगर के खसरा सं. 38 तादादी 10.9632 हेक्ट., खसरा सं. 4 तादादी 0.4426 हेक्ट., खसरा सं. 43 तादादी 0.0632 हेक्ट., खसरा सं. 46 तादादी 12.3289 हेक्ट. कुल तादादी 23.7979 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. तारानगर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम उमाराम पुत्र चिमनाराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम उमाराम पुत्र चिमनाराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी उमाराम पुत्र चिमनाराम की जगह ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. तारानगर की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा किरसाली कान्धलान तहसील तारानगर के खसरा सं. 38 तादादी 10.9632 हेक्ट., खसरा सं. 4 तादादी 0.4426 हेक्ट., खसरा सं. 43 तादादी 0.0632 हेक्ट., खसरा सं. 46 तादादी 12.3289 हेक्ट. कुल तादादी 23.7979 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि उमाराम पुत्र चिमनाराम Delete कर इसके स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र चिमना राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/2/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीतारीन अधिकारी
उपखण्ड सहायक अधिकारी (चूरु)

